



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 04 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 62,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 93/2016 धारा- 363,366ए,376 भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.रोहित 2.छोटू उर्फ सूरजभान 3.लखना निवासीगण छोटा लेवा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर उपरोक्त प्रत्येक को धारा-363,366ए,376डी भा०द०सं० में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 16,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा अभि० दीवाना पुत्र बरदानी निवासी छोटा लेवा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को धारा-366ए व धारा-04 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व 14,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ उमरदराज
खान



पैरोकार
थाना – सिसोलर
हे०का० धर्मेन्द्र मिश्रा